बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक–....................................

सख्या :– 5 नि०गो०वि० (1) 20/2024. –...................................... जिला पदाधिकारी, बक्सर से प्राप्त पत्रांक 01–2477/स्था० दिनांक 17.12.2024 के आलोक में विभाग के स्तर से डा० रामसेवक साह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर के विरूद्ध निम्न आरोपों के लिए आरोप–पत्र गठित किया गया :–

(i) दिनांक 25.07.2024 को विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बक्सर जिला में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध दिये गये निदेश के क्रम में जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर के द्वारा बताया गया कि डुमरी एवं उनवांस पशु चिकित्सालय हेतु भूमि उपलब्ध है, परन्तु अनापत्ति अप्राप्त है।

(ii) दिनांक 17.09.2024 को सम्पन्न पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के योजनाओं की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी, बक्सर के द्वारा पाया गया कि मुख्य सचिव, बिहार, पटना के निदेश के दो माह समाप्ति के बाद भी भूमि प्राप्त नहीं की गई है तथा समन्वय स्थापित कर 15 दिनों के अंदर अनापत्ति प्राप्त कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निदेश के बावजूद उनके द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं करने के निमित डा० रामसेवक साह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर से स्पष्टीकरण की मांग की गई, परन्तु डा० साह द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

(iii) दिनांक 09.09.2024 को बक्सर जिलान्तर्गत पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा) सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी 11 प्रखण्डों के लिए मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई के परिचालन का शुभारंभ किया गया, परन्तु पाया गया कि अधिकांश वाहन समाहरणालय परिसर/जिला कृषि कार्यालय, बक्सर के परिसर में खड़े रहते है। पूर्व बैठक में रोस्टर तैयार कर संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को सूचना देते हुए संबंधित गांव में भ्रमण कराने हेतु रोस्टर तैयार करने का निदेश डा० रामसेवक साह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर को दिया गया था। मोबाईल पशु चिकित्सा वैन का नियमित रूप से परिचालन नहीं करने के कारण सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना को विफल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु डा० साह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर से स्पष्टीकरण की मांग की गई, परन्तु उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।

(iv) दिनांक 17.09.2024 की समीक्षा बैठक में चौंगाई प्रखण्ड अन्तर्गत लगभग 85 लाख की लागत से पूर्व में निर्मित पशु चिकित्सालय के पहुँच पथ का निर्माण नहीं होने के कारण संबंधित पशु चिकित्सालय के अबतक अक्रियाशील रहने के संबंध में पृच्छा किए जाने पर जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर द्वारा इस संबंध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।

(v) दिनांक 17.09.2024 की समीक्षा बैठक में पशुपालन विभाग के भवनों एवं चिकित्सालयों का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यो की समीक्षा तथा उपस्थिति के संबंध में अनुश्रवण कर 'अनुपालन प्रतिवेदन एवं समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना तथा मुर्गी विकास योजना में विगत वर्षो की पाँच–पाँच योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश डा० रामसेवक साह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर को दिया गया था। इसके बावजूद भी डा० साह द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।

(vi) जिला में राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना, सात निश्चय पार्ट–2 के अन्तर्गत कॉम्फेड के माध्यम से होल डे मिल्क बुथ हेतु सभी 11 प्रखण्डों में 15 X15 वर्गफीट भूमि चिन्हित किया गया है। इस हेतु डा० साह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर द्वारा अबतक कार्रवाई नहीं की गई है।

(vii) दिनांक 25.10.2024 को जिला पशुपालन कार्यालय, बक्सर का निरीक्षण एवं समीक्षा बैठक में जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा पाया गया कि डा० साह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर द्वारा विभागीय कार्यो एवं दायित्वों के निर्वहन में अभिरूचि नहीं ली जा रही है एवं इनके अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों/कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण की कमी है। किसी भी योजना में कार्य संतोषप्रद नहीं है।

(viii) दिनांक 26.10.2024 जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा केसठ प्रखण्ड अन्तर्गत प्रथम वर्गीय पशु अस्पताल, केसठ का औचक निरीक्षण में भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, केसठ अनुपस्थित पाये गये। इस प्रकार स्पष्ट है कि डा० रामसवेक साह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर का अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण की कमी है।

उक्त गठित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक 44 नि०गो०, दिनांक 16.01.2025 द्वारा डा० साह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। जिसके आलोक में डा० साह द्वारा अपना स्पष्टीकरण पत्रांक 121, दिनांक 28.01.2025 से समर्पित किया गया।

डा० साह के द्वारा उक्त कंडिका में वर्णित आरोपों के संदर्भ में समर्पित स्पष्टीकरण में निम्नवत तथ्य अंकित किया गया :–

(i) दिनांक 25.07.2024 को विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बक्सर जिला में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों (उनवांस एवं डुमरी) के भवन निर्माण हेतु भुमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में प्राप्त निदेश का अनुपालन करते हुए विभागीय पदाधिकारी द्वारा संबंधित अंचलाधिकारी से अभिलेख तैयार कर भुमि सुधार उप समाहर्ता, बक्सर एवं डुमराँव को समर्पित किया गया, जो आज तक उनके कार्यालय में लंबित है। दिनांक 17.01.2025 को जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में उक्त आशय की सूचना डा० साह के द्वारा दी गई है।

(ii) मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई का रख–रखाव सरकार के प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2780 (नि०), दिनांक 29.08.2024 द्वारा अस्थायी रूप से सुरक्षित जगह पर रखने हेतु निदेशित किया गया है। सभी प्रखण्ड के प्रखण्ड मुख्यालय या किसी अन्य सरकारी संस्थान में सुरक्षित रखा गया है। बक्सर प्रखण्ड मुख्यालय में जगह की कमी के कारण सरकारी कार्यालय जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय के परिसर में संबंधित से अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित रखा गया है एवं इसका परिचालन सुचारू रूप से किया जाता है।

(iii) प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, चौगाई विगत लगभग 10 वर्ष पहले से निर्मित है। इसका स्थल चयन जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है एवं भवन का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित कराया जाता है। पशु चिकित्सालय का पहुँच पथ निर्माण करने हेतु विभागीय पदाधिकारी द्वारा संबंधित अंचलाधिकारी से बार–बार अनुरोध किया जाता रहा है, लेकिन अभी तक पहुँच पथ निर्माण कार्य लंबित है। पहुँच पथ नहीं रहने से उक्त पशु चिकित्सालय किराए के भवन में संचालित किया जा रहा है।

(iv) जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 17.09.2024 को आयोजित समीक्षा बैठक में दिए गए आदेश के आलोक में विगत वर्षो के "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" एवं "समेकित मुर्गी विकास योजना" के जिला में संचालित सभी योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया गया।

(v) जिला अन्तर्गत कम्फेड कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी के नियंत्रणाधीन नहीं है फिर भी संबंधित आरा –सह– बक्सर मैनेजर श्री राकेश केशरी को उनके मोबाईल नं० 9934425250 पर दुरभाष एवं व्हाटसएप्प मैसेज से समय–समय पर उनसे संबंधित विभागीय एवं जिला स्तरीय सुचना उपलब्ध करायी जाती है।

(vi) विभागीय नियमानुसार पशु चिकित्सालय का निरीक्षण एवं पशु चिकित्सकों के कार्यो की समीक्षा ससमय किया जाता है। जिले के विभागीय सभी पदाधिकारी अनुशासित एवं कर्तव्यनिष्ठ है।

(vii) दिनांक 26.10.2024 को जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय, केसठ का औचक निरीक्षण पूर्वाहन में किया गया, उस समय भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, केसठ अपने मुख्यालय के बगल में एफ०एम०डी० टीकाकरण कार्य का जाँच कर रहे थे।

उक्त के आलोक में डा० साह के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए डा० रामसेवक साह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में डा० रामसेवक साह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक लगायी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(स्मिता सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5 नि०गो०वि० (1) 20/2024.................... पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5 नि०गो०वि० (1) 20/2024.................... पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5 नि०गो०वि० (1) 20/2024.................... पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, बक्सर को उनके पत्रांक 01–2477/स्था०, दिनांक 17.12.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 5 नि०गो०वि० (1) 20/2024–132 नि०गो०वि० पटना–15, दिनांक– 18/03/2025

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/डा० रामसेवक साह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर/प्रशाखा पदाधिकारी, 1 एवं 2/विभागीय आई० टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/3/25

सरकार के संयुक्त सचिव।

(10)